न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2539–पी.बी.आर./2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–2013 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 393/2008–09 अपील

1– प्रेमचन्द 2– ईश्वरसिंह
3– भगवानसिंह पुत्रगण राजाराम
4– श्रीमती जमनावाई पत्नि स्व. राजाराम
निवासी ग्राम बोरिया तहसील
व जिला विदिशा
5– श्रीमती नर्मदावाई पत्नि स्व. सूरतसिंह
किरी मोहल्ला विदिशा
6– श्रीमती कम्मावाई पत्नि करनणसिंह
ग्राम करैया तहसील सांची,विदिशा
7– श्रीमती कोमलवाईपत्नि बंशी निवासी
ग्राम रूसल्ली तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर विदिशा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुभाष भण्डोरी)

(अनावेदक के अभिभाषक –कोई नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 16–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 393/2008–09 अपील में पारित दिनांक 27–4–2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायव

तहसीलदार विदिशा के समक्ष मान.व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रकरण क्रमांक 128/ए/68 में पारित आदेश दिनांक 28-9-73 की छाया प्रति प्रस्तुत कर ग्राम बोरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 285 रकबा चार बीघा पांच विसवा पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामान्तरण किये जाने की मांग की। नायव तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 43 अ 6/2007-08 दर्ज कर सुनवाई की एंव आदेश दिनांक 22-2-2008 पारित करके आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 114/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.3.2009 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील क्रमांक 393/2008-09 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 27-4-2013 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि दीवानी न्यायालय में हुई डिक्री के आधार पर इजरा प्रस्तुत किया गया है। इजरा प्रकरण में सीताराम, गोरेलाल, शिवप्रसाद व नारायण सिंह व्दारा एंव उनके वारिसों की ओर से कई आपत्तियां पेश की गई जो न्यायालय व्दारा निराकृत की गई हैं। सीताराम , गोरेलाल आदि ने फर्जी लिखा पढ़ी व मिथ्या दावा कर उपरोक्त

वर्णित भूमि सुभाषकुमार के नाम करा दी जिसके दावे की व आपसी राजीनामे की आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपियां आवेदकगण ने आवेदन के साथ नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की थी जिसे अस्वीकार करने में भूल हुई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार विदिशा के प्रकरण क्रमांक 43 अ 6/2007-08 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदन के साथ 1968-69 के अधिकार अभिलेख की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें सर्वे नंबर 285 का पुराना सर्वे नंबर 338 है जिसमें सीताराम उमराव सिंह, गोरेलाल उमरावसिंह, सेवप्रसाद उमरावसिंह भाग 3/5 एंव हजारीलाल मशांराम भाग 2/5 दर्ज है। नायव तहसीलदार ने जब चालू खसरा पंचशाला देखा उसमें इस आराजी पर सुभाषचंद्र पुत्र लख्मीचंद नि. विदिशा का नाम दर्ज है, जबकि माननीय व्यवहार न्यायालय की डिक्री कब्जा पर से निषेधाज्ञा वावत् निर्णय है। खसरा पांचशाला में सुभाषचंद्र पुत्र लख्मीचंद नि. विदिशा का नाम कैसे और कब दर्ज हुआ है, आवेदकगण नायव तहसीलदार के समक्ष स्पष्ट नहीं कर सके, जिसके कारण नायव तहसीलदार विदिशा ने आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 114/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.3.2009 में एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने अपील क्रमांक

393/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 27-4-2013 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 393/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-4-2013 उंचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर